

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि: 01 फरवरी, 2023

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी



जयपुर से जोग लिखी
प्रदीप महता का सबको शम-
शम/सलाम! केंद्र सरकार हों
या राज्य सरकारें देश-प्रदेश

के सर्वांगीण विकास और
आमजन की उमीदों को पूरा करने के लिए
बहुत सी नीतियां बनाती हैं। उन नीतियों
के तहत अनेक योजनाएं भी बनती हैं।

लेकिन निचले स्तर तक पहुंचने और
उनके क्रियान्वयन में या तो बहुत देरी हों
जाती हैं या उनका लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक
पहुंच ही नहीं पाता। कई योजनाओं में
अपारं लोग भी गैरवाजिब फायदा उठा
लेते हैं। इस शिथिलता को दूर करने के
लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक माना
गया है। यह एक सतत, प्रक्रिया है और
सभी सरकारें हमेशा इसे सुनिश्चित करने
की कवायद में भी लगी रहती है।

हाल ही राजस्थान सरकार की ओर से
चलाए जा रहे 'सुशासन के लिए नवाचार'
श्रृंखला के तहत जिला कलेक्टर ताराचंद
मीणा की पहुंच पर उदयपुर में शुरू किए
गए 'मिशन कोटड़ा' की सफलता
सुशासन कहा जा सकता है।

भ्रष्टाचार कानून: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनाया अहम फैसला

लोक सेवकों के रिश्वत लेने के मामले में प्रत्यक्ष सबूत नहीं होने पर परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर¹
सजा हो सकती है। मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं होने पर भी
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है।

पांच जर्जों की संविधान पीठ ने एक मामले पर सुनवाई के बाद यह अहम फैसला सुनाया है। पीठ में
जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर.गवई, जस्टिस बी. नागरत
व जस्टिस ए.एस. बोपत्रा शामिल है।

- संविधान पीठ की 3 अहम टिप्पणियां**
- संविधान पीठ ने कहा कि अदालतों को भ्रष्ट
लोगों के खिलाफ नरवी नहीं बरतनी चाहिए।
 - भ्रष्ट अधिकारियों पर मामला दर्ज करना
चाहिए और उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए।
 - शासन में भ्रष्टाचार के मामलों से ईमानदार
अधिकारियों की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है।

व जस्टिस ए.एस. बोपत्रा शामिल है।

संविधान पीठ ने कहा है कि शिकायतकर्ता
के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में
अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों
के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1988 की धारा 13 (2), धारा 7 और धारा 13
(1)(डी)के तहत लोक सेवक के अपराध का
निष्कर्ष निकालने की अनुमति है।

घर खरीदारों के हक में महत्वपूर्ण फैसला

देशभर में लाखों लोग बिल्डरों की लेटलतीकी और बदनीयती के कारण घर खरीदने के लिए पैसा जमा
कराने के बावजूद घर का कब्जा पाने के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद
निवारण आयोग ने घर खरीदारों के हक में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि लोग सपनों के
साथ घर खरीदते हैं, उन्हें घर के लिए अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं कराया जा सकता।

बिल्डर तथा समय में कब्जा नहीं देपाता है तो उसे खरीदारों को मुआवजा देना होगा।
आयोग ने बैंगलूरु के एनडी डेवलपर्स द्वारा खरीदारों को समय पर घर का कब्जा नहीं दिए
जाने को सेवा में कमी माना है और खरीदारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। फैसले में
कहा गया है कि कब्जा देने में देरी पर बिल्डर को कुल रकम का उतना फैसली मुआवजा देना
होगा जितना भुतान में देरी होने पर उपभोक्ता से व्याज के रूप में वसूलते हैं। आयोग ने 9 फीसदी सालाना
व्याज के साथ जमा कराई गई कुल राशि भी दो महीने के अंदर लौटाने का आदेश दिया है। यदि राशि दो माह
में नहीं लौटाई तो पूरी रकम पर सालाना 12 प्रतिशत की दर से व्याज देना होगा।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2022

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर'
अपने प्रकाशन के 41 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी
ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ट पत्रकारिता को प्रोत्साहित
करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार
बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्राओं पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2022 का विषय जिस पर उत्कृष्ट
पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं कितनी लाभकारी?'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को
10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-


- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब
से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2022 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग
व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2023 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

302016 (राजस्थान), फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395

ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org



भ्रष्टाचार के खिलाफ इच्छाशक्ति दिखाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति
को राजनीतिक एवं सामाजिक संरक्षण नहीं दिए
जाने का आह्वान करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के
तनाव मामलों के आधार पर सरकारी विभागों की
रेकिंग की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ
सरकार जो इच्छाशक्ति दिखा रही है, वैसी ही
इच्छाशक्ति सभी विभागों में भी दिखाई देनी
चाहिए।

मोदी ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने
के लिए विश्वास और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है।
पहले सरकारों ने न सिर्फ विश्वास खोया, बल्कि
लोगों पर भ्रोसा करने में भी विफल रहीं। हम
सरकारी सेवाओं की 'कमी और दबाव' की
व्यवस्था को बदलने की कोशिश में हैं।

सरकार चुनने में महिलाओं की हिस्सेदारी

लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा, देश में
महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। वर्ष
1971 से अब तक महिला मतदाताओं की संख्या
में 235.72 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। आंकड़े
बताते हैं कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में,
पहली बार मतदान करने वाली महिलाओं का
प्रतिशत पुरुषों से आगे निकल गया।

महिलाओं ने राजस्थान में भी अपनी निर्णायक
भूमिका निभाई। राजस्थान में 2018 के चुनावों में
महिलाओं का मतदान प्रतिशत 74.67 था, वहीं
पुरुषों का मतदान प्रतिशत 73.49 रहा। माना जा
रहा है कि शिक्षा का बढ़ता स्तर व राजनीतिक
जागरूकता इसकी मुख्य वजह है। देश की आधी
आबादी की ओर से लगातार चुनावों में निर्णायक
भूमिका निभाना लोकतंत्र के लिए एक सुखद
संकेत है।

राष्ट्रपति ने आदिवासियों से जाने हाल

राष्ट्रपति बनने के बाद
द्रौपदी मूर्म् पहली बार
राजस्थान की राजधानी
जयपुर में आयी और उन्होंने
राजभवन में संविधान पार्क
का लोकार्पण किया।



आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि हर
देशवासी को संविधानिक और नैतिक रूप से
जागृत होना चाहिए। संविधान में समानता के
अधिकार पर जोर दिया गया है।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि कोई भी
लोकतंत्र तभी जीवंत कहलाता है जब उसके
नागरिक शासन में भाग लेने और देश हित में
जिम्मेदारियां संभालने को तत्पर हों।

राष्ट्रपति मूर्म् आदिवासी समाज के प्रति-
निधियों से भी मिली और उनकी समस्याओं के बारे
में पूछा। उन्होंने कम उम्र में बच्चों के विवाह नहीं
करने तथा महिला शिक्षा पर ध्यान देने को कहा।
राष्ट्रपति सहरिया व खरीदी आदिवासी समुदाय
की महिलाओं से भी मिली और उनके लिए बनी
योजनाओं के बारे में पूछा। र